

कार्यालय अधिष्ठाता बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर
शिवाजी वार्ड, तिली रोड़, सागर(म.प्र.)



फोन नं. 07582-236270

क्रमांक 5484/स्था./राज0/19

सागर, दिनांक 3/08/19

// विज्ञप्ति //

म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सागर के अधीन सह प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति संस्था स्तर पर की जानी है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन दिनांक 06/08/2019 समय शाम 05:30 बजे तक कार्यालय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में जमा किये जायेगे।

क्र	विभाग का नाम	सह प्राध्यापक			
		UR	SC	ST	OBC
01	जनरल सर्जरी	01	--	--	--
02	ई0एन0टी0	01	--	--	--

- उपरोक्त विज्ञप्ति की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय सागर म.प्र की वेबसाईट www.bmcsagar.edu.in पर एवं चिकित्सा महाविद्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध है।
- साक्षात्कार बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में आयोजित किया जावेगा। रिक्त पदों की संख्या कमी/वृद्धि या विज्ञप्ति निरस्त भी की जा सकती है। आवश्यक होने पर विज्ञापन के संदर्भ में नवीन सूचनायें बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की वेबसाईट पर प्रसारित की जायेगी। आवेदक नई सूचनाये हेतु बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करने का कष्ट करें।

अधिष्ठाता
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म0प्र0)

जारी की गई विज्ञापित की सेवा एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

नोट:- उपरोक्त चिन्हित पदों में SC(अनुसूचित जाति) ST(अनुसूचित जनजाति) OBC(अन्य पिछड़ा वर्ग) F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है ।
पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है ।

1. पद - नियमित नियुक्ति हेतु वेतनमान

प्राध्यापक	-	37,400-67,000+ग्रेड पे 10,000+डी.ए.
सह प्राध्यापक	-	37,400-67,000+ग्रेड पे 09,000+डी.ए.
सहायक प्राध्यापक	-	15600-39,100+ग्रेड पे 07,000+डी.ए.
प्रदर्षक/ट्यूटर	-	15600-39,100+ग्रेड पे 06,000+डी.ए.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता -15600-39100+5400+ शासन द्वारा समय समय पर देय भत्ते टीप- समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य मानदेय आदि देय होंगे ।

2. आयु सीमा - न्यूनतम

प्राध्यापक	-	35 वर्ष
सह प्राध्यापक	-	30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	-	25 वर्ष
प्रदर्षक/ट्यूटर	-	22 वर्ष
चिकित्सा एवं महिला चिकित्सा अधिकारी	-	21 वर्ष

टीप- आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात् आने वाली 01 जनवारी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी ।

3. भर्ती में आरक्षण बिंदुओं अ0जा0/अ0ज0जा0/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है । पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा ।

4. जाति प्रमाण पत्र: आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा ।

5. अर्हतायें:-

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा शैक्षणिक पद पर विशेष के लिये निर्धारित अर्हता ।
- चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के पद पर एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से एम.बी.बी.एस. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
- अभ्यर्थी का म.प्र. मेडिकल काउंसिल /मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।

6. ऐसे विषयों में जहां गैर चिकित्सकीय शैक्षणिक अर्हता के अभ्यर्थी आवेदन की पात्रता रखते हैं, पर उनके आवेदन पर तभी विचार किया जा सकेगा जबकि उस पद के लिये मेडिकल डिग्री धारी उपयुक्त आवेदक न हो ।

7. निरर्हतायें:-

- विकृत चित्त वाला होने पर ।
- दुष्चरित्र होने पर ।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो ।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हतकारी माना जायेगा ।
- विवाह संबंधी-जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा । कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे ।
- दिनांक 26/01/2001 के पश्चात् जिस पश्चात् जिस उम्मीदवार में जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई है वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परंतु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात् द्वितीय प्रसव में 02 या अधिक संतान का जन्म हाता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा ।

- कूट रांचेत/फजो दस्तावेज एव चयन कं स्तर पर जानकारो छपाय जान/आभेलख फरबदल कर प्रस्तुत करने पर ।
- कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो ।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है अथवा व नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो ।
- स्वास्थ्य संबंधी - चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करे ।
- 8. चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी । यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा स्वशासी महाविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेसीडेण्ट डाक्टर के पद पर संतोषजनक कार्य किया हो तो ऐसे सीधे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी ।
- 7. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ।
- 8 चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा ।
- 9. (अ) ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा ।
(ब) इस संस्था में कार्यरत उम्मीदवारों को वरीयता दी जावेगी ।
- 10. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष जो भी पहले हो तक संबंधित शासकीय महाविद्यालय में सेवारत देनी होगी । आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।
- 11. मध्य प्रदेश शासन के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी ।
- 12. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की दो-दो छायाप्रति स्वप्रमाणित साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें ।
- 13 आवेदन शुल्क :-
 प्राध्यापक/सह प्राध्यापक अनारक्षित/ओबीसी श्रेणी रु. 2000/- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)
 - रु. 1000/- सहायक प्राध्यापक अनारक्षित/ओबीसी श्रेणी रु. 1000/- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)
 - रु. 500/- प्रदर्शक, अनारक्षित/ओबीसी श्रेणी रु. 500/- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)
 - रु. 250/- तथा चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी अनारक्षित पद हेतु 500/- रुपये तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 250 रुपये/- अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Dean & CEO) बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा । बैंक डाफ्ट के पीछे अभ्यर्थी अपना नाम, पदनाम, पता एवं मोबाईल नंबर अनिवार्य रूप से अंकित करें ।



14. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- आवेदन दिनांक 06/08/2019 समय शायं 05:30 बजे तक बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

15. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

16. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर मध्य प्रदेश की वेबसाईट www.bmcsagar.edu.in पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप:-

- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताये और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आषय से संबंधित घोषणा पत्र जो कि आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।



अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

आवेदन का प्रारूप

प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/प्रदर्शक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि 06/06/19)

नोट:- सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जाना अनिवार्य है।

1. बैंक ड्राफ्ट - क.....
दिनांक राशि.....
बैंक का नाम-
2. आवेदक का नाम.....
3. पुरुष/महिला
4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम फोन नं.....
मोबाईल नंबर..... ई-मेल आई डी.....
6. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम फोन नं.....
मोबाईल नंबर.....
7. आधार कार्ड नम्बर
8. जन्मतिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
9. दिनांक / /2018 को आवेदक की आयु.....दिन.....माह.....वर्ष
10. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित/अविवाहित
11. विवाह का दिनांक
12. वर्ग: अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग /
विकलांग.....(आरक्षित श्रेणी हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
13. मेडिकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक
1. (एम.बी.बी.एस.)-
2. एम डी/एम एस-
3. एमसीएच/डी एम
14. वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम.....

स्वप्रमा
णित
फोटो

4. ट्यूटर/प्रदर्शक

Sr. No	Topic of Research	Name of Journal	Type of research paper	Date of publication	Indexing Agency	Authorship/First/Second/Corresponding	E-Journal of print or both	E-ISSN print ISSN Number	Spesility of Journal	Published by National/State/International Society

17. शैक्षणिक अनुभव

Sr.n	Designation	Department	Name of Institution	From DD/MM/Y Y	To DD/MM/YY	Total Experience in years & months
1	Junior Resident					
2	Senior Resident					
3	Tutor					
4	Assistant Professor					
5	Associate Professor					
6	Professor					

18. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची.....

स्थान
दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर